	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद पत्र संख्या 216 / 2019 उनवान लालीदेवी बनाम सुरेश	
[illegible]/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह उप. होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल बहस अंतिम सुनी गई। अवलोकनार्थ पत्रावली दिनांक 06/1/2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	
06/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। मौखिक बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। फर्द दस्तावेज पत्रावली में शामिल किये गये। प्रा० पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 216/2019

1. लाली देवी पत्नि स्व. आनन्दीलाल उम्र करीबन 55 साल
2. दीपमाला पुत्री स्व. आनन्दीलाल उम्र करीबन 38 वर्ष
3. महेशचन्द पुत्र स्व. आनन्दीलाल उम्र करीबन 32 वर्ष
4. गजानन्द पुत्र स्व. आनन्दीलाल उम्र करीबन 36 वर्ष सर्व जाति साहु सर्व निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी, एल. आई.सी. ऑफिस के पीछे, जयपुर रोड़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
5. हरकरण पुत्र नारायण उम्र करीबन 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी गांधी नगर मदनगंज किशनगढ़ जरिये पॉवर ऑफ अट्रोनी गजानन्द पुत्र स्व. आनन्दीलाल जाति साहु
6. तेजमल पुत्र हनुमानप्रसाद उम्र करीबन 48 वर्ष जाति प्रजापत निवासी नगर मदनगंज किशनगढ़ जरिये पॉवर ऑफ अट्रोनी गजानन्द पुत्र स्व. आनन्दीलाल जाति साहु
7. रामचन्द्र पुत्र औंकारमल उम्र करीबन 30 वर्ष जाति जाट निवासी शान्ति नगर मदनगंज किशनगढ़ जरिये पॉवर ऑफ अट्रोनी गजानन्द पुत्र स्व. आनन्दीलाल जाति साहु —प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र स्व. मोहनलाल
2. कैलाश चन्द पुत्र स्व. मोहनलाल
3. नर्बदा देवी पत्नि स्व. मोहनलाल

सर्व जाति शर्मा जांगिड़ सर्व निवासीगण बजरंग कॉलोनी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

4. तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री भवानी सिंह राठौड

दिनांक 06.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वभाविक है। इस कारण वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 साथ में लगाया जा रहा है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, सहखातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम सावंतसर पटवार क्षेत्र सांवतसर, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से 11 बीघा 02 बिस्वा में भूखण्ड विखण्डित कर दिये गये है एवं शेष आराजी 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि है जिस पर प्रार्थीगण सतत् रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त कृषि आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (24) के तहत कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से 11 बीघा 02 बिस्वा में भूखण्ड विखण्डित कर दिये गये है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि ही इन्द्राज है एवं शेष आराजी 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी एकल, सहखातेदारी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अवैधानिक रूप से पक्का निर्माण करने पर उतारू है जबकी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का वर्णित आराजीयात में कोई हित अधिकार स्वत्त्व निहित नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अवैधानिक रूप से नीव खोदकर कार्य चालू कर दिया गया है इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर अपनी सहखातेदारी की आराजी में निर्माण व कब्जा नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या लगायत 3 से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी गयी कि यहां अब हमारा कब्जा है हम यहां मकान बनाकर यही निवास करेगें तुम में हिम्मत हो तो रोक कर दिखाओ तब प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब रूप से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की एकल सहखातेदारी का इन्द्राज अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार के रूप में अंकन है जिसमें प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का किसी प्रकार से कोई हित अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में मदाखलत कारीत करने पर आमादा रहते हैं एवं वर्णित आराजी में नीव खोदकर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने पर उद्धत है, जबकि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का कोई स्वत्व अधिकार निहित नहीं हैं। दिनांक 08.09.2019 को प्रार्थीगण अपनी सह खातेदारी की भूमि पर कृषकिय कार्य में व्यस्त था तभी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मौके पर आकर अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर प्रार्थीगण से लडाई–झगड़ा कर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये जिसको प्रार्थीगण ने विफल कर दिया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पुनः 11.09. 2019 को अवैध गुट तेयार कर प्रार्थीगण की सह खातेदारी की आराजी में नीव खोदकर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने पर आमादा हो गये एवं प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी इस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व इनके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थीगण की सहखातेदारी में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं मौके पर अवैध रूप से कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चुंकि वर्तमान में अधिकार अभिलेख में कृषि भूमि इन्द्राज है एवं मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, सहखातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम सावंतसर पटवार क्षेत्र सांवतसर, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व इनके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की प्रार्थीगण की सहखातेदारी में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, मौके पर अवैध रूप से कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करने नहीं करने हेतु, मौका व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2019 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री परमानन्द शर्मा उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के तथ्यो में प्रार्थीगण के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय न्यायालय में पेश करना स्वीकार हैं शेष तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण के द्वारा गलत व निराधार तथ्य अंकित कर वास्तविक व सही तथ्यो को छिपाकर वाद पेश किया गया हैं। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त में सफलता मिलने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। ग्राम सांवतसर में स्थित खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के द्वारा आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को अवासीय भुखण्डो में विभक्त कर उक्त भुखण्डो का बेचान किया जा चुका हैं जहाँ पर मकानो का निर्माण भी हो रखा हैं। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त कर उक्त भूमि के भुखण्डों में से भुखण्ड संख्या 64 व 65 का बेचान श्रीमती गंगा देवी पत्नि श्री नारायणराम जाति जाजडा निवासी ग्राम पीलवा तहसील परबतसर जिला नागौर को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2008 को किया जा चुका हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कहना कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि हैं तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हैं। अन्य सरासर गलत व निराधार तथ्य हैं। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार नही है, ना ही उक्त भूमि कृषि भूमि है इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा काश्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि को भुखण्डो में बेचान करने के बाद उक्त भूमि का क्रेताओ के पक्ष में नामान्तकरण नही खुलपाने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज होने के कारण उक्त का गलत फायदा लेकर गलत व निराधार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथ्य अंकित कर उक्त भूमि के क्रेताओं व जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान कर अन्यथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अतः उक्त पेराओ के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के द्वारा आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त कर उक्त भुखण्डो का बेचान किया जा चुका हैं जहाँ पर मकानो का निर्माण हो रखा हैं। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि पर आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटने के बाद उक्त भूमि पर किसी तरह की कोई काश्त वर्षों से नही हो रही हैं। इस कारण उक्त भूमि षि भूमि होने का, उक्त पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। उक्त भूमि खसरा संख्या 403 के पडौस में खसरा संख्या 402/1 की 20 बीघा भूमि थी जिसमें जवाबकर्तागण के पिता/पति श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल का हिस्सा निहित था। जवाबकर्तागण के पिता/पति श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर मकानो व क्रेसर का निर्माण करवा रखा था। जवाबकर्तागण के पिता/पति श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल की मृत्यु दिनांक 06.08.2010 को हो चुकी हैं। जवाबकर्तागण के पिता/पति स्व० श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि व मकानात तथा क्रेसर जवाबकर्तागण को विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसके तहत उक्त भूमि पर व निर्मित मकानात तथा स्थापित क्रेसर पर जवाबकर्तागण का स्वामित्व कब्जा हैं। उक्त भूमि का हिस्से अनुसार सहहिस्सेदारो के मध्य रिकोडेर्ड बंटवारा नहीं होने के जवाबकर्तागण व सहहिस्सेदारो के द्वारा उक्त भूमि का रिकोडेर्ड बंटवारा किया गया था जिसके तहत विभाजन का नामान्तकरण, नामान्तकरण संख्या 1879 दिनांक 08.11.2011 को स्वीकृत किया गया था। जिसके अनुसार खसरा संख्या 402/1 रकबा 20 बीघा के नवीन खसरा संख्या 402/1/1 रकबा 8 बीघा भूमि जवाबकर्तागण के हिस्से में आई थी। जवाबकर्तागण के पिता/पति स्व० श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर निर्मित मकान व स्थापित क्रेसर जवाबकर्तागण के पिता/पति के द्वारा निर्मित व स्थापित करने के कारण एवं उक्त मकानात व स्थापित क्रेसर जवाबकर्तागण के पिता/पति के कब्जे में होने उक्त की मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति/भूमि विरासत में प्राप्त होने के कारण जवाबकर्तागण का कब्जा होने के कारण बंटवारा में जवाबकर्तागण के हिस्से में आई थी। इस प्रकार जवाबकर्तागण के द्वारा किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया हैं। बल्कि काफी वर्ष पूर्व ही उक्त पर मकान निर्माण करवाया गया था तथा क्रेसर स्थापित की गई थी। प्रार्थीगण व जवाबकर्तागण के मध्य उक्तानुसार किसी तरह की कोई वार्तालाप नही हुई हैं, ना ही जवाबकर्तागण के द्वारा प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई धमकी दी गई हैं। जवाबकर्तागण के द्वारा प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई धमकी नही दिये जाने के कारण ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त पेरा में धमकी दिये जाने की किसी भी दिन, महिना व वर्ष का उल्लेख नही किया गया हैं। प्रार्थीगण के द्वारा जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से अन्यथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गलत व निराधार तथ्य अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रश्नंगत प्रार्थना पत्र पेश करने का किसी तरह का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आवासीय कॉलोनी आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त किया जा चुका था। उक्त भुखण्डो का बेचान भी किया जा चुका था जिसमें से प्रार्थीगण के द्वारा भुखण्ड संख्या 64 व 65 को श्रीमती गंगा देवी पत्नि श्री नारायणराम को बेचान कर जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2008 को निष्पादित कर कब्जा सुर्युद्ध कर दिया गया था उक्त भुखण्डो पर मकानात भी बने हुये हैं। उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं हैं, ना ही उक्त भूमि पर किसी तरह की कोई काश्त की जाती हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं जब उक्त भूमि पर किसी तरह का कोई कृषि कार्य किया ही नही जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने का तथा जवाबकर्तागण के द्वारा उक्त कृषि कार्य में बाधा कारित करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जवाबकर्तागण की भूमि उक्त भूमि के अडती हुई भूमि हैं जिस पर मकानात बने हुये हैं तथा क्रेसर स्थापित थी। जवाबकर्तागण को अपने पिता/पति श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल की मृत्यु के बाद विरासत में उक्त भूमि व भूमि पर बने मकानात तथा क्रेसर विरासत में प्राप्त हुई हैं जिसके तहत जवाबकर्तागण का उक्त पर स्वामित्व व आधिपत्य हैं। प्रार्थीगण के बताये अनुसार जवाबकर्तागण के द्वारा किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करवाने का अवैध कृत्य नही किया गया हैं अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में बताई गई भूमि खसरा संख्या 403 की भूमि कृषि भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के द्वारा आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को भुखण्डो में विभक्त किया जा चुका हैं जिनका बेचान प्रार्थीगण के द्वारा किया जा चुका हैं। प्रार्थीगण के द्वारा बेचान किये गये भुखण्डो का राजस्व रिकोर्ड में नामान्तकरण नही खुल पाने के कारण प्रार्थीगण के द्वारा उक्त का गलत फायदा लेकर अन्यथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गलत व निराधार तथ्य अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। खसरा संख्या 403 की भूमि पर आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटी जा चुकी हैं उक्त भूमि कृषि भूमि नही रही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कहना की प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य में व्यस्त होने के दौरान जवाबकर्तागण के द्वारा मौके पर आकर लडाई झगडा करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि पर आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को भुखण्डो में विभक्त करने के पश्चात उक्त भुखण्डो का बेचान करने के पश्चात प्रार्थीगण का यह कहना की उक्त भूमि कृषि भूमि हैं तथा जवाबकर्तागण कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, सरासर गलत व निराधार तथ्य हैं। प्रार्थीगण के द्वारा जानबुझकर गलत व निराधार तथ्य अंकित कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर जवाबकर्तागण के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया हैं। प्रार्थीगण किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार हैं। खसरा संख्या 403 की भूमि पर आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को भुखण्डो में विभक्त कर भुखण्डो का बेचान किया जा चुका हैं जिन पर मकानात बने हुये हैं। उक्त भूमि कृषि भूमि नही हैं। प्रार्थीगण के द्वारा बेचान किये गये भुखण्डो का नामान्तकरण राजस्व रिकोर्ड में नही खुलपाने के कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने के कारण उक्त का दुरूपयोग कर गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया हैं। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 8 के तथ्यो के जवाब में निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा तथ्यो को छिपाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व मूल वाद पेश किया गया है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 व 10 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नही होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 403 की भूमि पर आवासीय कॉलोनी आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त उक्त आवासीय भुखण्डो का बेचान किया गया हैं। उक्त भूमि पर किसी तरह का कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता हैं, ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई कब्जा काश्त हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 को गलत पक्षकार बनाकर श्रीमान न्यायालय में प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व मूल वाद पेश किया गया हैं। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व मूल वाद को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के तथ्यो के जवाब में निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर वर्ष 2008 से पूर्व ही आवासीय कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त किया जा चुका हैं जिनमे से भुखण्ड संख्या 64 व 65 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 19.12.2008 को बेचान किया जा चुका हैं। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 12 के जवाब में निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के द्वारा गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर अनुतोष चाहा गया हैं इस कारण प्रार्थीगण का अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। अतः अस्वीकार हैं। ग्राम सांवतसर में स्थित भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आवासीय कॉलोनी आनन्द विहार कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर उक्त भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त किया जा चुका हैं। उक्त आनन्द विहार कॉलोनी में स्थित भुखण्ड संख्या 64 व 65 को प्रार्थीगण के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 19.12.2008 को श्रीमती गंगा देवी पत्नि श्री नारायणराम को विक्रय किया जा चुका था इस प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा निष्पादित दस्तावेज के अनुसार ही उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर भूमि को आवासीय भुखण्डो में विभक्त किया जा चुका हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण के द्वारा निष्पादित दस्तावेजो के अनुसार ही कृषि भूमि नही रही हैं। प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के द्वारा निष्पादित दस्तावेजो से विबन्धन के सिद्धान्त के तहत पाबन्द हैं। उक्त के बावजूद भी प्रार्थीगण के द्वारा उक्त के विपरीत गलत व निराधार तथ्य अंकित कर प्रश्नगत भूमि को कृषि भूमि कब्जा काश्त की बताकर गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व मूल वाद को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़/अजमेर

क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करावे।

3. दिनांक 05.02.2025 को तहसीलदार किशनगढ का जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 18.10.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सी.पी.सी. एवं जवाबुल जवाब पेश किया जिसे दिनांक 22.04.2025 को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रिकार्ड पर लिया गया। प्रार्थी ने जवाबुल जवाब में निवेदन किया कि लिखित उत्तर पैरा संख्या 2 में यह अस्वीकार है कि प्रार्थीगण ने ग्राम सांवतसर की खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण का विक्रय हो। उपरोक्त खसरा संख्या 403 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा में से वादी ने दिशा की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि शेष रखी थी। जो उपरोक्त खसरा संख्या 403 के विक्रय विलेखों में स्पष्ट रूप से संलग्न मानचित्र से स्पष्ट है एवं वादी की उपरोक्त 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि आज भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के अधीन कृषि श्रेणी की होकर शेष है एवं प्रार्थीगण ने यह वाद उपरोक्त 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि के बावत् ही अप्रार्थीगण के अविधिक आचारण के प्रतिस्वरूप प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं उनक परिवारजन पूर्वाधिकारी की खसरा संख्या 402 रकबा 20 बीघा भूमि थी। जो विभाजन होकर नामान्तकरण संख्या 1879 दिनांक 08.11.2011 को स्वीकृत किया गया एवं उक्त विभाजन से अप्रार्थीगण के हिस्से में खसरा संख्या 402/1/1 रकबा 8 बीघा भूमि आई थी, जिसका राजस्व ट्रेस में सीमाकंन स्पष्ट रूप से चिन्हित है। यहां पर यह निवेदन किया जाना अयुक्तियुक्त नहीं होगा कि उपरोक्त अप्रार्थीगण खसरा संख्या 402/1/1 में सड़क से लगती हुई चौड़ाई की भूमि जो उनके हिस्से में आई थी जिसे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 विक्रय कर चुके है एवं यह स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा संख्या 402/1/1 के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की खसरा संख्या 403 की भूमि आती है। जब उपरोक्त अप्रार्थीगण स्वयं की खसरा संख्या 402/1/1 की भूमि में से सड़क की ओर लगती हुयी भूमि विक्रय कर चुके है एवं प्रतिवादीगण / अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी मोहन लाल 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपने प्राधिकृत अभिकर्ता सीताराम गहलोत पुत्र प्रभुलाल गहलोत जाति माली निवासी मदनगंज–किशनगढ़ के माध्यम से भूखण्ड विखण्डित करके विक्रय कर चुके है शेष भूमि में प्रतिवादीगण ने भूखण्ड विखण्डित करके नक्शा राजस्व ट्रेस में विशिष्ठ रूप से सीमाकिंत व चिन्हित है। उपरोक्त भूमि का तैयार कर कॉलोनी बसावट कर चुके है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने जिस प्रकार राजस्व ट्रेस के विपरीत खसरा संख्या 402/1/1 की भूमि का उल्लेख किया है से स्पष्टतः यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त अप्रार्थीगण खसरा संख्या 402/1/1 के स्थान पर उपरोक्त भूमि के लगती हुयी प्रार्थीगण की खसरा संख्या 403 में कब्जा करना चाहते है। लिखित उत्तर के पैरा संख्या 3 के कथन में अप्रार्थी ने यह मिथ्या अंकित किया है कि, खसरा संख्या 402/1/1 या 402/1 की भूमि पर क्रेशर का निर्माण हो। यह पहलू अपने आप में ही इस पहलू से असत्य हो जाता है कि, जो खसरा संख्या 402/1 का विभाजन होकर नामान्तकरण संख्या 1879 दिनांक 08.11.2011 से राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि हुयी है एवं जो विभाजन का नक्शा ट्रेस है में उपरोक्त क्रेशर खसरा संख्या 402/1 का कोई भाग नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खसरा संख्या 403 की रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अवैध, अनाधिकृत रूप से अधिकार जताना चाहते है एवं माननीय न्यायालय में उन्होने जानबूझकर गलत तथ्यों का जवाब प्रस्तुत किया है। यह अस्वीकार है कि, प्रार्थीगण के अधिकार, मिलकीयत की भूमि खसरा संख्या 403 में प्रार्थीगण को विरासत से कोई हक, अधिकार प्राप्त हुआ हो। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 402/1 के विभाजन ट्रेस में उनके विभाजित खसरा संख्या 402/1/1 की कायम सीमाओं के विपरीत कथन करने से विधि से प्रवारित है एवं यह पहलू प्रार्थीगण ने माननीय न्यायलय से लोप कर दुर्भावयुक्त आशय से जवाब दिया है। प्रार्थी के कथन गलत है एवं अस्वीकार है कि, खसरा संख्या 403 की सम्पूर्ण 14 बीघा 10 बिस्वा पर आनन्द विहार कॉलोनी बनाई गयी हो यह पहलू स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अप्रार्थीगण के विभाजन के नक्शे से ही असत्य हो जाता है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 402/1 के विभाजन के न्यायिक आदेश एवं प्रस्तुत नक्शे के विपरीत कथन करने से विधि से प्रवारित है।

4. दिनांक 15.10.2025 को अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह राठौड उपस्थित हुये तथा वकील उभयपक्ष की धारा 212 राज.का.अधिं. पर बहस सुनी गई।

5. दिनांक 06.01.2026 को वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.का.अधि. के तहत अप्रार्थीगण को खसरा संख्या 403 कुल रकबा 14 बीघा 10 बीस्वा भूमि में से 03 बीघा 08 बीस्वा भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकारा गया है कि वादग्रस्त भूमि के 11 बीघा 02 बीस्वा में भूखण्ड विखण्डित कर दिये गयें हैं जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 2.3461 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार नगर परिषद किशनगढ के नाम में किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है तथा अकृषि भूमि हो चुकी है। हस्तगत प्रार्थना पत्र का निर्णय धारा 212 राज.का.अधि. के प्रावधानुसार किया जाना है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार (कृषि भूमि) नहीं है ना ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में अतिचार करने का प्रयास सिद्ध हो अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि वर्तमान में नगरपरिषद किशनगढ के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है जो कि अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्व हो कि अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीयागण सिद्ध करने में असफल रहें है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुकी है तथा प्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रजत [illegible] (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)